

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 38

व्यय विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2002-2003			संशोधित 2002-2003			बजट 2003-2004		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		0.31	122.58	122.89	0.21	23.58	23.79	0.31	23.70	24.01
पूंजी		...	0.33	0.33	...	0.33	0.33
जोड़		0.31	122.91	123.22	0.21	23.91	24.12	0.31	23.70	24.01
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	20.23	20.23	...	21.15	21.15	...	21.33	21.33
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
2. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध सोसायटी संस्थान को सहायता अनुदान	2070	...	1.40	1.40	...	1.40	1.40	...	1.40	1.40
3. विशेष श्रेणी के राज्यों के अधिकारियों को प्रशिक्षण	2070	0.31	...	0.31	0.21	...	0.21	0.31	...	0.31
4. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	2070	...	0.95	0.95	...	1.03	1.03	...	0.97	0.97
5. केन्द्र सरकार के कार्यालयों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए एकमुश्त प्रावधान	2070	...	100.00	100.00
आवास										
6. तैयार-निर्मित रिहायशी आवासों की खरीद	4216	...	0.33	0.33	...	0.33	0.33
कुल जोड़		0.31	122.91	123.22	0.21	23.91	24.12	0.31	23.70	24.01
ग. आयोजना परिव्यय		विकास	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.	जोड़	बजट	आं.ब.
		शीर्ष	समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.		समर्थन	बा.सं.
1. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	0.31	...	0.31	0.21	...	0.21	0.31	...	0.31
जोड़		0.31	...	0.31	0.21	...	0.21	0.31	...	0.31

1. इसमें लेखा महानियन्त्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध सोसायटी संस्थान को सहायतानुदान देने के लिए है।

3. यह प्रावधान वित्त एवं लेखा मामलों से संबंधित विशेष श्रेणी राज्यों के

अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय वित्त प्रबंध संस्थान में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम को निधि प्रदान करने के लिए है।

4. यह प्रावधान लेखा महानियन्त्रक द्वारा सिविल लेखा विभाग के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने पर होने वाले व्यय के लिए है।